# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 69/2016/प्रा.पत्र/2016 | 09.11.2016 | 16.12.2021 |

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री भवंर लाल कलाल (जायसवाल)पुत्र श्री रामसहाय कलाल जाति जायसवाल निवासी कीर कॉलोनी वार्ड नं0 16 टोक रोड निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पूजा ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड निवाई जिला टोंक

2– मैसर्स पूजा ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड निवाई जिला टोंक

...... अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)**

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री तेजमल जैन,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 16.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.05.2016 को समय 3.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स पूजा ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड निवाई जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से भवंर लाल कलाल (जायसवाल)पुत्र श्री रामसहाय कलाल जाति जायसवाल निवासी कीर कॉलोनी वार्ड नं0 16 टोक रोड निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पूजा ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:04:08 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर [illegible] विक्रय हेतु दुकान मे मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (जेवीएम पिंकसिटी [illegible]) जिसके बैच नम्बर 4 एवं [illegible] की दिनांक मई 2016 अकित थी,रखा हुआ था, [illegible] मिलावट की शंका [illegible]र. विकेता श्री भवंर लाल कलाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए मे वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता भवंरलाल कलाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे फ्रीज के अन्दर 5–5 लीटर के 4 पैकेट **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (जेवीएम पिंकसिटी स्पेशल ब्राण्ड)** रखे हुये मे से एक पैक को फ्रीज से बाहर निकालकर वातावरण के समान तापमान पर आने पर पूर्णतया होमोजिनियस कर एक स्टील के जग मे 1 किलो 200 ग्राम वेईग मशीन से तुलवाकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री भवंरलाल कलाल को रू0 135/–अक्षरे एक सौ पैतीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (जेवीएम पिंकसिटी स्पेशल ब्राण्ड)** 1 किलो 200 ग्राम को पूर्णतया होमोजिनियस कर अच्छी तरह से हिला–मिलाकर चार कॉच की साफ व सूखी शिशियो मे बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शिशी मे 300–300 ग्राम भरकर बतोर प्रीजरवेटिव 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 36–36 बूंदे प्रत्येक शिशी मे डालकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1334 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1334 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. भवंरलाल कलाल जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2016/2402 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/258/एक्ट/2016/308 दिनांक 20.05.2016 अनुसार भवंरलाल कलाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (जेवीएम पिंकसिटी स्पेशल ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:04:08 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण ... (Mis-branded) स्तर का **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (जेवीएम पिंकसिटी स्पेशल ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 ... 2(ii) का उल्लंघन



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत न कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट (जेवीएम पिंकसिटी स्पेशल ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट (जेवीएम पिंकसिटी स्पेशल ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री भवंर लाल कलाल (जायसवाल)पुत्र श्री रामसहाय कलाल जाति जायसवाल निवासी कीर कॉलोनी वार्ड नं0 16 टोक रोड निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पूजा ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड निवाई जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

16.12.21

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma

Date: 2022.01.21 11:04:08 IST

Reason: SelfAttested